छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 323/2006*</u>

1. **श्री राजूलाल वर्मा,** - *अपीलार्थी*
ग्राम-बेवरा, पोस्ट-पुरपुरा,
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव* - *प्रति अपीलार्थी*
ग्राम पंचायत-बेवरा, पोस्ट-पुरपुरा,
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 15 अप्रैल, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजूलाल वर्मा ने जानकारी प्राप्त करने के लिए सचिव, ग्राम पंचायत, बेवरा, जिला-दुर्ग के समक्ष दिनांक 28.11.2005 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण प्रथम अपील दिनांक 27.02.2006 को प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी जानकारी नही मिलने के कारण आयोग के समक्ष दिनांक 17.08.2006 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 09.10.2006 को यह निर्देश दिये गये थे कि काफी जानकारियॉं दी जा चुकी है और केवल पांच बिन्दुओं की जानकारी नही दी गई है, इस संबंध में सचिव ने बताया कि यह जानकारी से संबंधित रिकार्ड उप संचालक के यहॉं लंबित है । अत: इस संबंध में यह निर्देश दिये गये कि उप संचालक के यहॉं से रिकार्ड बुलाया जाकर 15 दिवस में नि:शुल्क जानकारी प्रदाय की जावे और फीस की राशि अधिक जमा की गई है तो उसे लौटाया जावे, इस आदेश का पालन नही होने के कारण सचिव और सरपंच दोनों को पांच-पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । सरपंच और सचिव ने उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिनांक 28.01.2008 को प्रस्तुत किया, उनके द्वारा दिया गया उत्तर चूंकि संतोषप्रद है और प्रकरण में उनकी कोई दुर्भावना प्रतीत नही होती है केवल रिकार्ड उप संचालक के यहॉं होने के कारण ही जानकारी नही दी जा सकी तथा उप संचालक ने अपने उत्तर में यह बताया है कि जल ग्रहण मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय में

//2//

अभिलेख बुलाया गया था, इसके कारण ही प्रतिलिपि देने में विलंब हुआ है । चूंकि अब बाद में पूर्ण रिकार्ड वापस किया जाकर समस्त जानकारी प्रदाय की जा चुकी है, अतः उपरोक्त स्थिति में सरपंच और सचिव को जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में चूंकि अंतिम सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी भी उपस्थित नही हुये थे, अतः यह मान्य किया जाता है कि वे प्राप्त जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट हो गये हैं । साथ ही प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व आदेशानुसार यदि अधिक जमा शुल्क की राशि नही लौटाई गई हो तो वह 15 दिवस में लौटाई जावे तथा विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त